अल्प संख्यक समुदायों के उत्थान में तेजी लाने के लिये बैंकों को दिशा निर्देश

310 **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये बैंकों को क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं तथा क्या नई सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये कोई निर्णय लिया है ;

(ख) कितने बैंकों में इस प्रयोजनार्थ विशेष कक्ष खोले गये हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त ऋण देने के लिये उपाय करें । सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजना को जारी रखेगी । भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पर बैंकों द्वारा किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित है :—

(एक) प्रत्येक बैंक में एक विशिष्ट सैल खोला जाय ।

(दो) अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के उपाय किये जाये और इस सबध में हुई प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से जिला परामर्श दात्री समितियों और जिला स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में की जायें ।

(तीन) जहां अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की आबादी अधिक है और खासतौर से उन 40 जिलों में जिनको अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य माना गया है, सरकार के निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ।

(चार) पता लगाए गये 40 जिलों में से प्रत्येक में प्रायोजक बैंक को केवल अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के लिये ऋण के प्रवाह से संबंधित समस्याओं पर निगरानी रखने के लिये एक अधिकारी रखना चाहिये । बैंक ऋणों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में प्रचार करने की जिम्मेदारी इस अधिकारी की होनी चाहिये और उसे इनके हितों के लिये शाखा प्रबन्धक के सहयोग से उपयुक्त योजनायें भी बनानी चाहियें ।

(पांच) इन 40 जिलों में कार्यरत प्रायोजक बैंकों को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिये उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहियें, ताकि उन्हें बैंकों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ उठाने के योग्य बनाया जा सके ।

(छः) पता लगाये गये 40 जिलों और देश के सभी जिलों में तिमाही आधार पर अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण की निगरानी करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधित प्रपत्र भी लागू किया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस उद्देश्य के लिये विशिष्ट सैल स्थापित किये जा चुके है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में बैंकों की प्रगति की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि विशिष्ट अल्प संख्यक समुदायों के कमजोर वर्ग के लोग बैंक ऋणों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त कर सके ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात के तकनीकी एवं अधिकारी वर्ग के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन

311. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात के तकनीकी एवं अधिकारी वर्ग के अधि-